न्यायालय सुनील भाटी, R.A.S, अतिरिक्त कलक्टर, (द्वितीय) जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 72/2011
सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील फागी, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

मांगी देवी पत्नी श्री रामनाथ, जाति–रैगर, निवासी–डाबिच गुजरान, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थितिः–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 13.12.2017

तहसीलदार, फागी द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम डाबिच की आराजी खसरा नम्बर 408/1709 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नाडा दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 408/1709 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा में से 1 बीघा प्रहलाद पुत्र श्री लादू, कौम धलाई के हक में दिनांक 21.05.1992 को आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–74 प्रहलाद के नाम दर्ज होकर गैर–खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण सं0–153 स्वीकार किये जाने और विक्रय के फलस्वरूप अप्रार्थी मांगी देवी की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकीन नाडा आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के

विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकीन नाडा दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम डाबिच गुजरान की आराजी खसरा नम्बर 408/1709 रकबा 05 बीधा 12 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नाडा दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 408/1709 रकबा 05 बीधा 12 बिस्वा में से 1 बीधा प्रहलाद पुत्र श्री लादू कौम बलाई के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–74 प्रहलाद के नाम दर्ज गैर–खातेदारी होकर नामान्तरकरण सं0–153 द्वारा आंवटी को खातेदारी दी गई हैं। खातेदार द्वारा आराजी को विक्रय कर दिये जाने के कारण क्रेता अप्रार्थी मांगी देवी की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी ख0न0 408/1709 रकबा 05 बीधा 12 बिस्वा में से 1 बीधा वाके ग्राम डाबिच गूजरान प्रहलाद पुत्र श्री लादू कौम जाति–बलाई को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.05.1992 को आवंटन किया गया हैं। जिसका इन्द्राज नामान्तरकरण सं0–74 के कॉलम सं0–14 पर हैं, नियमों के विपरीत अवैध रूप से आवंटित की गई है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 में यह आराजी गैर–मुमकिन नाडा दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार

प्रोदभूत नही होगें। आवंटन दिनांक 21.05.1992 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 राज्य सरकार द्वारा बनाये गये है और ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावशील हुए है। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकिन नाडा की आराजी को दिनांक 21.05.1992 को प्रहलाद पुत्र लादू, जाति–बलाई को आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज और पश्चातवर्ती प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों मे अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 ग्राम डाबिच गूजरान की आराजी खसरा नम्बर 408/1709 रकबा 05 बिस्वा 12 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जनीन गैर–मुमकिन नाडा दर्ज हैं, आराजी खसरा नम्बर 408/1709 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा में से 1 बीघा प्रहलाद पुत्र श्री लादू कौम बलाई के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–74 प्रहलाद के नाम दर्ज होकर खातेदारी का नामान्तरकरण सं0–153 स्वीकार हुआ हैं। खातेदार द्वारा विक्रय किये जाने के फलस्वरूप अप्रार्थी मांगी देवी के नाम नामान्तरकरण संख्या 161 स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 में अप्रार्थी मांगी देवी के नाम दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकिन नाडा आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अभिभाषक ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन दिनांक 21.05.1992 को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन नाडा दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2011–2030 से होती है और इस आराजी का आवंटन प्रहलाद पुत्र लादू, जाति–बलाई को दिनांक 21.05.1992 को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0–74 ग्राम–डाबिच गूजरान से होती है। गैर–खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 74 व खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 153 स्वीकार किया गया हैं और वादग्रस्त आराजी को विक्रय किये जाने के फलस्वरूप क्रेता मांगी देवी के नाम नामान्तरकरण संख्या 161 स्वीकार किया गया हैं। विवादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिला लगानी सिवायचक गैर–मुमकीन नाडा की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नाडा भूमि का आवंटन कर खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकिन नाडा भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम

सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, फागी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी ख0न0 408/1709 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा में से 1 बीघा वाके ग्राम–डाबिच गूजरान आवंटन दिनांक 21.05.1992 बहक प्रहलाद पुत्र लादू, जाति–बलाई को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक गैर–मुमकीन नाडा दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकारान को दिनांक 07.02.2018 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 13.12.2017 को सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) उदयपुर

13/12/17

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
उदयपुर